

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा (जिला दौसा)

पीठासीन अधिकारी का नाम : मूलचन्द लूणिया, (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या : 65 / 2022
दायर दिनांक : 24.11.2022
निर्णय दिनांक : 12.03.2025

1. अनीता पुत्री लल्लु जाति गुर्जर, निवासी ढाणी निर्वाणी तन भाण्डारेज
2. उम्मेदसिंह पुत्र लल्लु जाति गुर्जर, निवासी ढाणी निर्वाणी तन भाण्डारेज
3. छीतर पुत्र रेवड जाति गुर्जर, निवासी ढाणी निर्वाणी तन भाण्डारेज
4. उषा पुत्री भगवानसहाय नाबालिग जरिए दादा प्रहलाद पुत्र देवकरण जाति गुर्जर, निवासी ढाणी निर्वाणी तन भाण्डारेज
5. चरणसिंह पुत्र भगवानसहाय नाबालिग जरिए दादा प्रहलाद पुत्र देवकरण जाति गुर्जर, निवासी ढाणी निर्वाणी तन भाण्डारेज
6. लाखनसिंह पुत्र भगवान जाति गुर्जर, निवासी ढाणी निर्वाणी तन भाण्डारेज
7. मंजू पुत्री लल्लु जाति गुर्जर, निवासी ढाणी निर्वाणी तन भाण्डारेज
8. मथुरा देवी पत्नी रामधन जाति गुर्जर, निवासी ढाणी निर्वाणी तन भाण्डारेज
9. रामजी पुत्र रेवड जाति गुर्जर, निवासी ढाणी निर्वाणी तन भाण्डारेज
10. रामधन पुत्र रेवड जाति गुर्जर, निवासी ढाणी निर्वाणी तन भाण्डारेज
11. विजेन्द्रसिंह पुत्र लल्लु जाति गुर्जर, निवासी ढाणी निर्वाणी तन भाण्डारेज
12. शान्ति देवी पत्नी छीतरमल जाति गुर्जर, निवासी ढाणी निर्वाणी तन भाण्डारेज
13. सुगनी देवी पत्नी लल्लु जाति गुर्जर, निवासी ढाणी निर्वाणी तन भाण्डारेज.
14. सुनीता पुत्री लल्लु जाति गुर्जर, निवासी ढाणी निर्वाणी तन भाण्डारेज
15. सांझा देवी पत्नी रामजीलाल जाति गुर्जर, निवासी ढाणी निर्वाणी तन भाण्डारेज
16. लोहडिया पुत्र सांवता जाति गुर्जर, निवासी ढाणी निर्वाणी तन भाण्डारेज


प्रार्थीगण

बनाम

1. कमली पुत्री पून्या जाति माली, निवासी भाण्डारेज हाल निवासी चोड की ढाणी
2. कैलाश पुत्र पून्या जाति माली, निवासी ढाणी निर्वाणी तन भाण्डारेज
3. केशन्ता पुत्र सुरज्ञान जाति माली, निवासी ढाणी निर्वाणी तन भाण्डारेज
4. गुलाब पुत्री पून्या जाति माली, निवासी भाण्डारेज हाल निवासी मानपुर. तहसील सिकराय जिला दौसा
5. गुलाब पत्नी पांच्या जाति माली, निवासी ढाणी निर्वाणी तन भाण्डारेज
6. गिल्लुराम पुत्र पून्या जाति माली, निवासी ढाणी निर्वाणी तन भाण्डारेज
7. गोपाल पुत्र श्रवणलाल जाति माली, निवासी ढाणी निर्वाणी तन भाण्डारेज
8. गोविन्दी पुत्री पांच्या जाति माली, निवासी भाण्डारेज हाल निवासी सिकराय.
9. घनश्याम पुत्र सुरज्ञान नाबालिग जरिए माता झूथी जाति माली, निवासी ढाणी निर्वाणी तन भाण्डारेज
10. घासी पुत्र बहराम जाति गुर्जर, निवासी ढाणी निर्वाणी तन भाण्डारेज
11. चमेली पुत्री मूलचन्द जाति माली, निवासी भाण्डारेज हाल निवासी खवासावणी
12. छोटेला ल पुत्र श्रवणलाल जाति माली, निवासी ढाणी निर्वाणी तन भाण्डारेज
13. देवकरण पुत्र गंगासहाय जाति गुर्जर, निवासी ढाणी निर्वाणी तन भाण्डारेज
14. नरेश पुत्र सुरज्ञान जाति माली, निवासी ढाणी निर्वाणी तन भाण्डारेज
15. नरसीराम पुत्र मूलचन्द जाति माली, निवासी ढाणी निर्वाणी तन भाण्डारेज

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राजो)

16. नाथूराम पुत्र पांच्या जाति माली, निवासी ढाणी निर्वाणी तन भाण्डारेज
17. पूजा पुत्री बाबूलाल जाति माली, निवासी भाण्डारेज हाल निवासी अरनिया तहसील बांदीकुई
18. प्रेम पुत्री श्रवणलाल जाति माली, निवासी बावडी दरवाजा भाण्डारेज
19. बजरंगलाल पुत्र मूल्या जाति माली, निवासी ढाणी निर्वाणी तन भाण्डारेज
20. बसन्ती पुत्री सुरज्ञान नाबालिग जरिए संरक्षिका झूथी जाति माली, निवासी ढाणी निर्वाणी तन भाण्डारेज
21. भूली देवी पत्नी बाबूलाल जाति माली, निवासी ढाणी निर्वाणी तन भाण्डारेज
22. कमल पुत्र बाबूलाल जाति गुर्जर, निवासी ढाणी निर्वाणी तन भाण्डारेज
23. वकील पुत्र बाबूलाल जाति गुर्जर, निवासी ढाणी निर्वाणी तन भाण्डारेज
24. शान्ति पत्नी बाबूलाल जाति गुर्जर, निवासी ढाणी निर्वाणी तन भाण्डारेज
25. उषा पुत्री बाबूलाल जाति गुर्जर, निवासी भाण्डारेज हाल निवासी सिकन्दरा
26. मनीषा पुत्री बाबूलाल जाति गुर्जर, निवासी भाण्डारेज हाल निवासी भोजपुरिया तहसील बस्सी
27. फौरन्ता पुत्री बाबूलाल जाति गुर्जर, निवासी भाण्डारेज हाल निवासी भोजपुरिया तहसील बस्सी
28. भागचन्द पुत्र पांच्या जाति माली, निवासी ढाणी निर्वाणी तन भाण्डारेज
29. भौती देवी पत्नी पून्या जाति माली, निवासी ढाणी निर्वाणी तन भाण्डारेज
30. मंजू पुत्री बाबूलाल जाति माली, निवासी भाण्डारेज हाल निवासी अरनिया तहसील बांदीकुई
31. ममता पुत्री सुरज्ञान जाति माली, निवासी भाण्डारेज हाल निवासी खवारावजी
32. महेन्द्र पुत्र बाबूलाल जाति माली, निवासी ढाणी निर्वाणी तन भाण्डारेज
33. रंगलाल पुत्र श्रवणलाल जाति माली, निवासी ढाणी निर्वाणी तन भाण्डारेज
34. रमेश पुत्र श्रवणलाल जाति माली, निवासी ढाणी निर्वाणी तन भाण्डारेज
35. रमेशचन्द पुत्र जगदीश जाति गुर्जर, निवासी ढाणी निर्वाणी तन भाण्डारेज
36. शंकर पुत्र राजाराम जाति गुर्जर, निवासी ढाणी निर्वाणी तन भाण्डारेज
37. नारंगी पुत्री राजाराम जाति गुर्जर, निवासी भाण्डारेज हाल निवासी कैलाई
38. द्रोपती पुत्री राजाराम जाति गुर्जर, निवासी भाण्डारेज हाल निवासी कैलाई
39. प्रियंका पुत्री राजाराम जाति गुर्जर, निवासी भाण्डारेज हाल निवासी बाणे का बरखेडा
40. रामफूल पुत्र पून्या जाति माली,
41. रीना पुत्री बाबूलाल नाबालिग जरिए संरक्षिका माता भौली देवी पत्नी बाबूलाल जाति माली, निवासी ढाणी निर्वाणी तन भाण्डारेज
42. ललता पुत्री सुरज्ञान जाति माली, निवासी भाण्डारेज हाल निवासी खवारावजी
43. लल्लु पुत्र श्रवणलाल जाति माली, निवासी ढाणी निर्वाणी तन भाण्डारेज
44. लोहड्या पुत्र हाबूड्या जाति माली (फौत)
- 44/1. कौशल्य पत्नी लोहड्या जाति माली, निवासी ग्राम बहरावण्डा तहसील बहरावण्डा जिला दौसा
- 44/2. बनवारी पुत्र लोहड्या जाति माली, निवासी ग्राम बहरावण्डा तहसील बहरावण्डा जिला दौसा
- 44/3. किशनलाल पुत्र लोहड्या जाति माली, निवासी ग्राम बहरावण्डा तहसील बहरावण्डा जिला दौसा
- 44/4. संतोष पुत्री लोहड्या जाति माली, निवासी ग्राम बहरावण्डा तहसील बहरावण्डा जिला दौसा



- 44/5. फूली पुत्री लोहड्या जाति माली, निवासी ग्राम बहरावण्डा तहसील बहरावण्डा जिला दौसा
- 44/6. केशन्ता पुत्री लोहड्या जाति माली, निवासी ग्राम बहरावण्डा तहसील बहरावण्डा जिला दौसा
45. विष्णु पुत्र बाबूलाल नाबालिग जरिए संरक्षिका माता भोली जाति माली,
46. शिवचरण पुत्र गंगासहाय जाति गुर्जर, निवासी ढाणी निर्वाणी तन भाण्डारेज
47. सुनीता पुत्री पांच्या जाति माली, निवासी भाण्डारेज हाल निवासी मानपुर तहसील सिकराय
48. सुमन पुत्री सुरज्ञान नाबालिग जरिए संरक्षिका माता झूथी जाति माली, निवासी ढाणी निर्वाणी तन भाण्डारेज
49. सीताराम पुत्र बहराम जाति गुर्जर, निवासी ढाणी निर्वाणी तन भाण्डारेज
50. हनुमान पुत्र मूल्या जाति माली, निवासी ढाणी निर्वाणी तन भाण्डारेज
51. हंसा पुत्री बाबूलाल नाबालिग जरिए माता भूली जाति माली, निवासी ढाणी निर्वाणी तन भाण्डारेज
52. कमली पुत्री जगदीश जाति गुर्जर, निवासी भाण्डारेज हाल निवासी रामपुरा
53. उर्मिला पुत्री जगदीश जाति गुर्जर, निवासी भाण्डारेज हाल निवासी रामपुरा
54. घासी पुत्र मांग्या जाति गुर्जर, निवासी ढाणी निर्वाणी तन भाण्डारेज
55. अमरसिंह पुत्र रामकिशन, निवासी ढाणी निर्वाणी तन भाण्डारेज
56. मुकेश पुत्र रामकिशन निवासी ढाणी निर्वाणी तन भाण्डारेज
57. राजन्ती पुत्री रामकिशन, निवासी भाण्डारेज हाल निवासी सावास सिकन्दरा
58. राजेन्द्र पुत्र रामकिशन, निवासी ढाणी निर्वाणी तन भाण्डारेज
59. शान्ति पुत्री रामकिशन, निवासी भाण्डारेज हाल निवासी काबलीसर
60. सरोज पुत्री रामकिशन, निवासी भाण्डारेज हाल निवासी काबलीसर
61. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भाण्डारेज

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

—: निर्णय :—

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 8340, 8341, 8330/1, 8332/1, 8333/1, 8325 लगायत 8329, 8330/2, 8331/2, 8332/2, 8333/2, 8334, 8335/2, 8337, 8338, 8339, 8342, 8343, 8344, 8345, 8323/2, 8324/2, 8336/1, 8322/2, 8323/3, 8324/1, 8322/1, 8323/1, 8324/3, 8331/1, 8335/1, 8336/3, 8336/2 तन मोजा भाण्डारेज में स्थित है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के उत्तर की ओर खसरा नम्बर 8349, 8283 अप्रार्थीगण की भूमि स्थित है। प्रार्थीगण की उपरोक्त आराजीयात में आने-जाने का रास्ता खसरा नम्बर 8349 पश्चिमी डोल के सहारे-सहारे चाहा गया है। प्रार्थीगण बजमाने बुजुर्गान से सैकड़ों वर्षों से खेत खसरा नम्बर 8349 की पश्चिमी मेड के सहारे-सहारे आते जाते रहे हैं। रास्ता सीट में दर्शित नहीं है एवं रास्ता गै.मु. पाल खसरा नम्बर 8283 आराजी को मिलाता है जो अकृष्य एवं रास्तेनुमा है। खसरा नम्बर 8349, 8350 में 50-60 व्यक्तियों के 15-20 घरों की ढाणी अलमशहूर पोंगडा माली ढाणी निर्वाणी के नाम से है, जिसमें ग्रेवल सडक खसरा नम्बर 7205 से 8282 के उत्तरी डोल के सहारे गै.मु. पाल

खसरा नम्बर 8283 के जरिए आ-जा रहा है। प्रार्थीगण की कृषि भूमि मय आवासीय ढाणी में आने-जाने हेतु वैधानिक रूप से रास्ता चाहा जाना अतिआवश्यक हो गया है ताकि जरिए हल, बैल, ट्रैक्टर, मवेशी व अन्य साधनों का सुगम रास्ता जारी रहे। रास्ता करीब 4 मीटर चौड़ा वांछित है। यह कि रास्ते वांछित के स्थल पर आने-जाने में अप्रार्थीगण इंकार करते हैं। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात में आने-जाने का रास्ता अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 8349 के पश्चिमी डोल के सहारे-सहारे दिलाये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गयी। अप्रार्थी संख्या 2, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 16, 21, 28, 32, 33, 34, 40, 43, 44/1 लगायत 44/6 की ओर से अधिवक्ता श्री लक्ष्मीकांत शर्मा ने पावर पेश किया। अप्रार्थी संख्या 13, 22, 35, 36, 46, 49 की ओर से अधिवक्ता श्री मलखान सिंह गुर्जर ने पावर पेश किया। अप्रार्थी संख्या 54 की ओर से अधिवक्ता श्री सीएल मीना ने पावर पेश किया। अप्रार्थी संख्या 55 लगायत 60 की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक कुमार जोशी ने पावर पेश किया। अप्रार्थी संख्या 1, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 23 लगायत 27, 29, 30, 31, 37, 38, 39, 41, 42, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 53 बावजूद तामील न्यायालय में उपस्थित न होने के कारण इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

प्रकरण में न्यायालय में उपस्थित अप्रार्थीगण को जवाब प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। अप्रार्थी संख्या 55 लगायत 60 की ओर से जवाब पेश किया गया। अप्रार्थी संख्या 2, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 16, 21, 28, 32, 33, 34, 40, 43, 44/1 लगायत 44/6 की ओर से जवाब पेश किया गया। अप्रार्थी संख्या 61 की ओर से रिपोर्ट पेश की गयी। अप्रार्थी संख्या 13, 22, 35, 36, 46, 49, 54 की ओर से बावजूद अवसर जवाब पेश न किये जाने के कारण इनका जवाब बन्द किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब/रिपोर्ट के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार हैं:-

(1) अप्रार्थी संख्या 55 लगायत 60 ने अपने जवाब में कथन किये कि प्रार्थीगण की भूमि में आने-जाने के लिए पहले से ही खसरा नम्बर 8309 गै.मु. रास्ता उपलब्ध है। प्रार्थीगण हमेशा से ही उक्त गै.मु. रास्ते खसरा नम्बर 8309 में होकर आते-जाते हैं। खसरा नम्बर 8349 व 8283 में कोई रास्ता न तो है न ही पहले था। प्रार्थीगण के आवागमन का सुलभ रास्ता पहले से ही मौजूद है। प्रार्थीगण के आवागमन के लिए पहले से ही गै.मु. रास्ता खसरा नम्बर 8309 है जो प्रार्थीगण के खेतों के बिल्कुल नजदीक व 15 मीटर की दूरी पर है। प्रार्थीगण की भूमि में आने जाने के लिए पहले से ही वैकल्पिक रूप से खसरा नम्बर 8309 गै.मु. रास्ता मौजूद है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है व खारिज किये जाने योग्य है।

(2) अप्रार्थी संख्या 2, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 16, 21, 28, 32, 33, 34, 40, 43, 44/1 लगायत 44/6 ने अपने जवाब में कथन किये कि खसरा नम्बर 8349 व 8283 में होकर किसी प्रकार का कोई रास्ता न तो वर्तमान में है और न ही पहले कभी रहा है। प्रार्थीगण की भूमि में आने-जाने के लिए पहले से ही खसरा नम्बर 8309 गै.मु. रास्ता उपलब्ध है तथा उक्त रास्ता प्रार्थीगण की भूमि के बिल्कुल नजदीक 15 मीटर की दूरी पर स्थित है। प्रार्थीगण हमेशा से ही उक्त गै.मु. रास्ता खसरा नम्बर 8309 में होकर आते जाते हैं। खसरा नम्बर 8283 गै.मु. पाल निजी खातेदारी में कोई ग्रेवल सड़क बनी हुई नहीं है। प्रार्थीगण का पहले से ही सुलभ रास्ता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा निरस्त फरमाया जावे।

(3) अप्रार्थी संख्या 61 तहसीलदार भाण्डारेज ने अपने पत्रांक 1112 दिनांक 25.07.2024 द्वारा रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की। तहसीलदार भाण्डारेज की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि तक पहुँचने हेतु चाहा गया रास्ता लघुत्तम है। अन्य



कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा वांछित रास्ते का खसरा नम्बर 8349, वांछित रास्ते की लम्बाई 136 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर एवं रास्ते का रकबा 0.0544 है। तहसीलदार भाण्डारेज द्वारा प्रेषित उक्त रिपोर्ट पर आपत्ति प्रस्तुत होने के फलस्वरूप आपत्ति प्रार्थना पत्र का निस्तारण करते हुए तहसीलदार भाण्डारेज को पुनः रिपोर्ट भिजवाने बाबत निर्देशित किया गया। तहसीलदार भाण्डारेज ने अपने पत्रांक 209 दिनांक 05.02.2025 द्वारा रिपोर्ट पुनः न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की। तहसीलदार भाण्डारेज की रिपोर्ट दिनांक 05.02.2025 अनुसार ग्राम भांडारेज के खसरा नम्बर 8340, 8341, 8330/1, 8332/1, 8333/1, 8325 लगायत 8329, 8330/2, 8331/2, 8332/2, 8333/2, 8334, 8335/2, 8337, 8338, 8339, 8342, 8343, 8344, 8345, 8323/2, 8324/2, 8336/1, 8322/2, 8323/3, 8324/1, 8322/1, 8323/1, 8324/3, 8331/1, 8335/1, 8336/3, 8336/2 की भूमि एक ही परिवार की है, जिस पर आने जाने के लिए रा.का.अ. 1955 की धारा 251(क) के तहत खातेदारों ने दावा किया है। उक्त भूमि पर आवागमन का रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज अंकित कटा हुआ नहीं है। मौके पर आवागमन ग्राम भांडारेज के अन्य विभिन्न खसरों जिसमें खातेदारी व सरकारी भूमि के खसरे हैं जिनमें होकर कहीं पक्का कहीं कच्चा रास्ता लगभग दस से पन्द्रह फुट के कहीं कम कहीं ज्यादा चौड़ाई में जा रहा है किन्तु वह दर्ज रिकॉर्ड नहीं है। खसरा नम्बर 8349 में मौके पर फसल है एवं चाहे गये रास्ते की जगह मेडबंदी बाड है। खसरा नम्बर 8283 किस्म गै.मु. पाल मौके पर खाली पडी है जिसमें स्थानीय पडौसी खातेदारों के आवासों का आवागमन अस्थायी रूप से हो रहा है। प्रार्थीगण के पास अपनी खातेदारी भूमि तक पहुँचने के लिए वांछित रास्ते के अतिरिक्त एक रास्ता और है किन्तु वह ज्यादा लम्बा और घूमकर है और राजस्व रिकॉर्ड में कटा हुआ नहीं है एवं दूसरी तरफ खसरा नम्बर 8306, 8302 से भी रास्ता आ रहा है परन्तु खसरा नम्बर 8302 में स्वयं खातेदारों ने पक्का मकान बना लिया है, जिससे आवागमन निकलना संभव नहीं है। वर्तमान में चालू रास्ता लम्बा एवं पूर्व में प्रस्तावित रास्ता नजदीक कम दूरी पर है।

प्रकरण में बहस उभय पक्ष सुनी गयी। बहस के दौरान प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि तक पहुँचने के लिए कोई रिकॉर्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण कई वर्षों से खसरा नम्बर 8349 में होकर आते जाते रहे हैं किन्तु वर्तमान में खसरा नम्बर 8349 के खातेदारों द्वारा रास्ता अवरुद्ध कर दिया गया है। प्रार्थीगण के पास कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा वांछित रास्ता निकटतम एवं न्यूनतम लम्बाई का है। प्रार्थीगण द्वारा वांछित रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है। प्रार्थीगण रास्ते में दर्ज होने वाली भूमि का प्रतिकर देने को तैयार हैं। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपने तथ्यों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त यथा 2019 RBJ 26, 2019 RBJ 209, 2017 RBJ 24, 2020 RBJ 151 पेश किये। बहस के दौरान अप्रार्थी संख्या 2, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 16, 21, 28, 32, 33, 34, 40, 43, 44/1 लगायत 44/6 के अधिवक्ता ने अपने जवाब में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण के पास वर्तमान में रास्ता मौजूद है, तो दूसरा रास्ता नहीं मांगा जा सकता है। तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार भी दूसरे रास्ते पर रुकावट नहीं है। खसरा नम्बर 8309 भी रास्ते की भूमि है किन्तु रास्ते पर मकान बनाकर रास्ता बन्द कर दिया गया है। प्रार्थीगण द्वारा अपनी सुविधा के लिए रास्ता नहीं मांगा जा सकता है। पटवारी, भू अभिलेख निरीक्षक एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। अप्रार्थी संख्या 2, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 16, 21, 28, 32, 33, 34, 40, 43, 44/1 लगायत 44/6 के अधिवक्ता ने अपने तथ्यों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त यथा राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251-क टिप्पणी सहित, 2021 RBJ 299, 2016(2)

CJ(Civ.)(Raj.) 765, 2016 (2) CJ(Civ.)(Raj.) 1115, तहसीलदार भाण्डारेज व भू अभिलेख निरीक्षक भाण्डारेज की जाँच रिपोर्ट दिनांक 05.02.2025 व 03.01.2025 पेश किये। बहस के दौरान अप्रार्थी संख्या 55 लगायत 60 के अधिवक्ता ने अपने जवाब में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि खसरा नम्बर 8283 में मौके पर ग्रेवल सड़क नहीं है, यह तहसीलदार की रिपोर्ट से भी स्पष्ट है। खसरा नम्बर 8309 गै.मु. रास्ता है, जिसमें आवागमन है। वैकल्पिक रास्ता मौजूद है। प्रार्थीगण द्वारा रास्ता धारा 251(क) की मंशा के विपरीत मांगा जा रहा है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है। अप्रार्थी संख्या 55 लगायत 60 के अधिवक्ता ने अपने तथ्यों के समर्थन में न्यायिक दृष्टिान्त यथा 2021(2) RRT 1286, 2018-19(Sup.) RRT 576, 2016(1) RRT 649, 2014(1) RRT 40, 2019(2) RRT 1543 पेश किये। बहस के दौरान अप्रार्थी संख्या 13, 22, 35, 36, 46, 49 के अधिवक्ता ने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने में अपनी सहमति व्यक्त करते हुए रास्ते में दर्ज की जाने वाली भूमि का मुआवजा दिलवाये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया, बहस पर मनन किया गया एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टिान्तों से मार्गदर्शन लिया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 के जरिये ग्राम भांडारेज तहसील भाण्डारेज स्थित अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 8340, 8341, 8330/1, 8332/1, 8333/1, 8325 लगायत 8329, 8330/2, 8331/2, 8332/2, 8333/2, 8334, 8335/2, 8337, 8338, 8339, 8342, 8343, 8344, 8345, 8323/2, 8324/2, 8336/1, 8322/2, 8323/3, 8324/1, 8322/1, 8323/1, 8324/3, 8331/1, 8335/1, 8336/3, 8336/2 तक आवागमन हेतु अप्रार्थीगण की ग्राम भांडारेज तहसील भाण्डारेज स्थित खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 8349 के पश्चिमी डोल के सहारे-सहारे रास्ता दिलाये जाने की मांग की गयी है। अप्रार्थी संख्या 2, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 16, 21, 28, 32, 33, 34, 40, 43, 44/1 लगायत 44/6 एवं 55 लगायत 60 ने अपने जवाब में खसरा नम्बर 8349 व 8283 में होकर किसी प्रकार का कोई रास्ता नहीं होने एवं प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आवागमन के लिए पहले से ही खसरा नम्बर 8309 गै.मु. रास्ता उपलब्ध होने का कथन किया है। तहसीलदार भाण्डारेज द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के संलग्न नक्शा का अवलोकन करने पर खसरा नम्बर 8309, 8306, 8302 रास्तेनुमा प्रतीत होते हैं किन्तु तहसीलदार भाण्डारेज ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि खसरा नम्बर 8302 में खातेदारों ने पक्का मकान बना लिया है जिससे आवागमन संभव नहीं है एवं उक्त खसरों के अतिरिक्त बीच में दूसरे खसरे भी पडते हैं जो खातेदारी दर्ज हैं। इस प्रकार अप्रार्थीगण का यह कथन कि खसरा नम्बर 8309 से प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि तक आवागमन का रास्ता उपलब्ध है, बलहीन एवं महत्त्वहीन सांबित होता है। तहसीलदार भाण्डारेज ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आवागमन का रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज अंकित कटा हुआ नहीं है। इस प्रकार तहसीलदार भाण्डारेज की रिपोर्ट से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि तक आवागमन हेतु कोई भी रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। यहाँ यह स्पष्ट करना उचित होगा कि तहसीलदार भाण्डारेज ने अपनी रिपोर्ट में यह अंकित किया है कि प्रार्थीगण वर्तमान में अपनी खातेदारी भूमि तक पहुँचने के लिए विभिन्न खातेदारी एवं राजकीय भूमि के खसरों में मौके पर चालू रास्ते का उपयोग कर रहे हैं किन्तु उक्त चालू रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है एवं प्रार्थीगण द्वारा वांछित रास्ते की तुलना में अधिक लम्बा है। न्यायालय के मत में उक्त विभिन्न खातेदारी एवं राजकीय भूमि के खसरों में मौके पर चालू रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज न होने के कारण प्रार्थीगण के लिए रास्ते का विकल्प माना जाना तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि तक आवागमन हेतु कोई रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होना इस तथ्य की पुष्टि करता है कि प्रार्थीगण के पास अपनी खातेदारी भूमि तक आवागमन हेतु वैकल्पिक मार्ग का अभाव है एवं प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि तक पहुँचने एवं अपनी

कृषि भूमि के उपयोग उपभोग के लिए रास्ते की आत्यन्तिक एवं वास्तविक आवश्यकता है। प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि तक आवागमन हेतु खसरा नम्बर 8349 के पश्चिमी डोल के सहारे-सहारे रास्ता चाहा गया है। उक्त वांछित रास्ता एक ओर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 8333/1 से जुड़ता है वहीं दूसरी ओर खसरा नम्बर 8283 गै.मु. पाल से जुड़ता है। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार भाण्डारेज खसरा नम्बर 8283 से स्थानीय पडौसी खातेदारों का आवागमन हो रहा है। तहसीलदार भाण्डारेज की रिपोर्ट से यह भी साबित होता है कि प्रार्थीगण द्वारा खसरा नम्बर 8349 में होकर चाहा गया रास्ता न्यूनतम दूरी का है। उपरोक्त समस्त तथ्यों के अतिरिक्त अप्रार्थी संख्या 13, 22, 35, 36, 46, 49 ने प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने एवं अपनी संयुक्त खातेदारी भूमि में से रास्ता दिये जाने में सहमति व्यक्त की है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर निष्कर्षतः प्रार्थीगण के पास प्रार्थना पत्र में वर्णित अपनी खातेदारी भूमि तक आवागमन हेतु कोई रिकॉर्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं होने, वैकल्पिक मार्ग का अभाव होने, प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि के उपयोग उपभोग के लिए रास्ते की आत्यन्तिक एवं वास्तविक आवश्यकता होने एवं प्रार्थीगण द्वारा वांछित रास्ता न्यूनतम दूरी का होने के कारण प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर ग्राम भाण्डारेज तहसील भाण्डारेज स्थित भूमि खसरा नम्बर 8349 में पश्चिमी डोल के सहारे-सहारे संलग्न नक्शानुसार खसरा नम्बर 8333/1 की उत्तरी सीमा से प्रारम्भ करते हुए खसरा नम्बर 8283 की दक्षिणी सीमा तक 136 मीटर लम्बा एवं 4 मीटर चौड़ा रास्ता जिसका कुल रकबा 0.0544 हैक्टेयर बनता है, स्वीकृत किया जाता है तथा तहसीलदार भाण्डारेज को निर्देशित किया जाता है कि उक्त स्वीकृत रास्ते के रकबे को खसरा नम्बर 8349 के कुल रकबे में से पृथक् कर राजस्व नक्शे व जमाबन्दी में पृथक् से खसरा नम्बर दिया जाकर रास्ते के रकबे सहित किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज की जावे। उक्त कार्यवाही से पूर्व तहसीलदार भाण्डारेज द्वारा रास्ते में दर्ज की जाने वाली भूमि की वर्तमान प्रभावी डीएलसी दर से गणना कर दुगुनी प्रतिकर राशि प्रार्थीगण से वसूल कर खसरा नम्बर 8349 के खातेदारों को जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार भुगतान की जावेगी। उक्तानुसार स्वीकृत रास्ता राजस्व अभिलेखों में राजकीय सिवायचक खाते में दर्ज होगा। उक्त रास्ते के उपयोग में आने वाली भूमि में अभिधारी (काश्तकार) के सारे अधिकार समाप्त हो जावेंगे। उक्त रास्ते का उपयोग सार्वजनिक होगा। प्रार्थीगण उक्त स्वीकृत रास्ते की भूमि में होकर आवागमन के अतिरिक्त अन्य कोई अधिकार अर्जित नहीं कर सकेंगे। तहसीलदार भाण्डारेज को पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा न्यायालय की मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।



(मूलचन्द लूणिया)
उपखण्ड अधिकारी, दौसा
उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज.)